पत्रांक: [illegible] 47/2019......3183 (ग)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता(विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 3/6/20

विषय: भवन निर्माण विभाग द्वारा 2.00 करोड़ से 50.00 करोड़ तक की लागत की योजनाओं में लागू SBD की कंडिका-4.5A(d) एवं 4.5A(e) के निहित प्रावधानों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः देखा जाता है कि कतिपय निविदाओं में मूल संवेदक द्वारा SBD की कंडिका 4.5A(d) एवं 4.5A(e) के निहित प्रावधान के अनुसार Sub Contractor के द्वारा विद्युत, स्वच्छताधिष्ठापन, जलापूर्ति आदि कार्यों को कराये जाने से संबंधित सहमति पत्र अपलोड नहीं किया जाता है, जिबकि पूर्व से SBD की इस कंडिकाओं के अनुसार अगर Sub Contractor के माध्यम से कार्य कराया जाता है, तो मूल संवेदक को Sub Contractor का सहमति पत्र अपलोड करने का प्रावधान है। अतः इस संबंध में पुनः निदेश दिया जाता है कि अगर SBD की कंडिका-4.5A(d) एवं 4.5A(e) में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई कार्य Sub Contractor के माध्यम से कराया जाता है तो संबंधित Sub Contractor का सहमति पत्र शपथ पत्र के माध्यम से निविदा कागजातों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होगा।

विश्वासभाजन,

29/5/2020

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 3183 (ग) पटना, दिनांक- 3/6/20

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/5/2020

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 3183 (ग) पटना, दिनांक- 3/6/20

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/2020

सरकार के प्रधान सचिव।